

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-241049;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/ 3292

दिनांक : 16.4.2024

निमित्त,

सहायक अभियन्ता, (प व स)

अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं

**विषय :-** Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

**प्रसंग :-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16(TRANS)2020 /एफसीए/प्रमुवसं/941 दिनांक 5.4.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए हैं। अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पालना रिपोर्ट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के.वी./11 के.वी. पारिषण लाईन डाला जाना प्रस्तावित है किन्तु DGPS मेप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट प्लान (DGPS मेप) इंडेक्स अनुसार नहीं है। प्रस्ताव में 33 के.वी. एवं 11 के.वी. किस प्रकार डाली जानी है, स्पष्ट नहीं है। तकनीकी टिप्पणी भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/ 3293

प्रतिलिपि :- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(विजय शर्मा पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 16.4.2024

उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,**

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं./941

दिनांक 5/4/24

मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

विषय:- Creation of 33/11 KV kune to new grid sub station Jogania Mat.  
(Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/20210)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 04.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:-

1. पालना अपूर्ण। प्रस्ताव अनुसार 33 के0वी0 एं 11 के0वी पारेपण लाईन डाला जाना प्रस्तावित है किन्तु डी0जी0पी0एस0 मेप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट प्लान (डी0जी0पी0एस0 मेप) इंडेक्स अनुसार नहीं है। प्रस्ताव में 33 के0वी0 एव 11के0वी0 किस प्रकार डाली जानी है, स्पष्ट नहीं है। तकनीकी टिप्पणी भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

2. उप वन संरक्षक द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित मांग अनुसार 1.64 करोड की मांग की गयी है जबकि प्रस्ताव में प्रोजेक्ट कॉस्ट 74 लाख ही है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को संशोधित कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर एजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर



F.C.A. सर्वे

1/2/3

9.4.2024

क्रमांक: एफ. 14(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं./942-43

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
2. सहायक अभियंता (प.व.स.) अ.वि.वि.नि.लि., वेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

दिनांक 5/4/24

Raise to S

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर

क्रमांक एफ 50 सुवसं./एफसीए/2024-25/2032

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को सन्दर्भित पत्र की प्रतिलिपि के साथ उपरोक्त प्रस्ताव में लगाए गए आक्षेपों की विस्तृत पालना की जाकर यूजर एजेन्सी से कराया जाकर सूचना ऑनलाईन कर हरिकोपी में भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर।